न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प-भोपाल/

प्रकरण क्रमांक / अपील/ 2017-18 2/ अपील/विदिशा/लो.न्या./2018/2582

(1) सार्वजनिक दुर्गामन्दिर न्यास, दुर्गानगर विदिशा
द्वारा अजय दुबे पुत्र श्री के.एल. दुबे,
निवासी दुर्गानगर विदिशा म.प्र.

(2) अरविन्दकुमार पाठक पुत्र श्रीबाबूलालजी पाठक
निवासी पूरनपुरा विदिशा म.प्र. एवं अन्य
----- अपीलांट्स

बनाम-

1: म.प्र. शासन

2: रामेश्वरदयाल चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रभुदयालचतुर्वेदी
निवासी दुर्गानगरविदिशा म.प्र... रिस्पांडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2017 पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकार एवं रजिस्ट्रारपब्लिक ट्रस्ट विदिशा के प्रकरण क्र03/बी 113/2001-02 व मामले श्री दुर्गामंदिर न्यास विदिशा बनाम सर्व साधारण/ अपील अंतर्गत धारा 04 नियम 09 लोकन्यास अधिनियम 1981 /

===

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्ततथ्य यह हैं कि अपीलांटस एवं रिस्पांडेंटक्र0 दो द्वारा श्री दुर्गाजीमंदिर विदिशा दुर्गानगर रोड पर स्थित मंदिर व उसकी संपत्ति जो कि धार्मिक आस्था का स्थान है और जिसमें सभी वर्ग के व्यक्ति धर्मलाभ लेते हैं - के बाबत सार्वजनिक श्रीदुर्गामंदिर ट्रस्ट निर्माण हेतु आवेदक के रूप में रिस्पांडेंटक्र0 दो रामेश्वरदयाल चतुर्वेदी द्वारा आवेदन प्रस्तुतकिया गया तथा अपीलांट्स के साथ सदस्यगण अरविन्दकुमार पाठक एवं अपीलांट सहित अन्य लोगों ने पब्लिक ट्रस्ट निर्मित हेतु आवेदन प्रस्तुतकिया गया और नोटिफिकेशन हेतु चालान क्र. 120 दि0 10.04.2002 अपीलांट ने प्रस्तुतकिया। इसप्रकार अपीलांट एवं रिस्पांडेंट क्र0 दो दोनों ही श्री सार्वजनिक दुर्गामंदिर धार्मिक न्यास का पंजीयन चाहते हैं। दो पृथक-पृथक आवेदन आपत्ति एवं पृथक-पृथक बॉयलॉज प्रस्तुतीकरण किए गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2017 को धारा 04 के अन्तर्गत लोक न्यास गठन के बाबत आवेदन अस्वीकार करदिया है और धारा 04 के उपनियम 09 के अंतर्गत एवं 1983 राजस्वनिर्णय ट्रस्ट 20 के न्यायदृष्टांत अनुसार अपील का प्रावधान आदेश के विरूद्ध होने से आलोच्य आदेश

.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/विदिशा/अन्य/2018/2552

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	अपीलान्ट की ओर से यह अपील अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	